



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846004

पत्रांक:-.....

दिनांक:-.....

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग,
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सभी प्रधानाचार्य,
(स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय),
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषय:-स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र- (2024-26) में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र- 2024-26 में नामांकन हेतु चयन सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट (www.lnmu.ac.in) पर जारी कर दी गयी है। छात्र/छात्रा अपना चयन-पत्र (Selection letter) विश्वविद्यालय के वेबसाईट से यूजर आई-डी एवं पासवर्ड (User I.D and password) के द्वारा लॉग-इन (login) कर डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि चयन सूची से दिनांक:- 07.10.2024 से 19.10.2024 तक छात्र/छात्राओं का आवंटित विभाग/महाविद्यालय में आवश्यक प्रमाण-पत्र के जाँचोपरान्त नामांकन सुनिश्चित किया जाय। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नामांकन सुनिश्चित करेंगे:-

1. यह चयन सूची आवेदकों द्वारा आवेदन में भरे गये तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी है। अतएव विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये तथ्यों की जाँच कर एवं सभी प्रकार के कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही नामांकन की अनुसंशा करेंगे।
2. स्नातकोत्तर में नामांकन CBCS Regulation के तहत लिया जाता है। परिनियम के अनुसार स्नातकोत्तर में नामांकन के लिये प्रतिष्ठा (Honours) विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुषांगिक (Subsidiary), सामान्य पाठ्यक्रम (Pass Course), मातृभाषा MB(Maithili) एवं संबद्ध विषय (Allied Subject) में न्यूनतम 55 प्रतिशत से कम अंक है तो ऐसे छात्र/छात्रा नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
3. यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अपने आवेदित विषय में स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्तांक से अधिक अंक भरे हैं तो ऐसे छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाय।
4. विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य छात्रों का किसी भी परिस्थिति में आवेदित विषय को परिवर्तन कर नामांकन नहीं लेंगे।
5. यदि छात्र/छात्रा आरक्षण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किये हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं के आरक्षण कोटि के प्रमाण-पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। छात्र/छात्राओं द्वारा आरक्षण कोटि से इतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्र/छात्राओं का नामांकन नहीं लेगे।
6. विशेष कोटा यथा NCC, NSS, Fine Arts, Sports and Scort & Guide इत्यादि से संबन्धित नामांकन की सूची विश्वविद्यालय द्वारा बाद में जारी की जायेगी, अतएव विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य अपने स्तर से किसी भी कोटा के अन्तर्गत नामांकन नहीं लेंगे।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का नामांकन के समय शुल्क लिया जाता है तो यह राज्यादेश एवं न्यायादेश का उल्लंघन माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
8. नामांकन के समय छात्र/छात्राओं से निम्नांकित अभिलेखों को संलग्न कर नामांकन लेंगे:-
क) कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF)
ख) चयन-पत्र (सेलेक्शन लेटर)।
ग) मूल अंक-पत्र की छाया-प्रति

- घ) महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (CLC) की मूल प्रति।
 ङ) पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियाँ।
 च) आरक्षण कोटि प्रमाण-पत्र जहाँ लागू हो।
 छ) आधार कार्ड की छाया-प्रति। (यदि हो)
 ज) दिव्यांग कोटा (PH) के अधिन वैसे छात्र/छात्रा नामांकन के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो एवं सक्षम पदाधिकारी यथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया हो। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रमाण-पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जाय।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों को ई-मेल के द्वारा डैस-बोर्ड की लिंक भेज दी गयी है, डैस-बोर्ड से छात्रों की चयन सूची डाउनलोड कर मिलान करते हुए छात्र/छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करेंगे।
2. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय नामांकित छात्रों का प्रेरण-वर्ग (Induction Programme) आयोजित कर दिनांक-28.10.2024 से वर्ग प्रारंभ करेंगे। प्रेरण-वर्ग (Induction Programme) के कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटो विभाग/महाविद्यालय में संरक्षित कर रखेंगे।
3. विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, नामांकित छात्र/छात्राओं का Dash Board पर प्रतिदिन Update करेंगे। Admission Updation के उपरान्त नामांकित छात्रों को स्वतः विश्वविद्यालय परीक्षा क्रमांक (University Examination Roll Number) जारी हो जायेगा। Update करने में यदि किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क करें। नामांकित छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय के डैस-बोर्ड पर Update दिनांक- 23.10.2024 अपराह्न 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कर लेंगे। अपडेशन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो दिनांक- 24.10.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के मेल-dsw@lnmu.ac.in पर अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे, इसके उपरान्त अपडेशन संबंधि किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. परीक्षा संबंधी विनयमन के अनुसार छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की सूचनाएँ सभी विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य ससमय परीक्षा नियंत्रक को दे देंगे।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(प्रो0 विजय कुमार यादव)


अध्यक्ष, छात्र-कल्याण

दिनांक:- 04/10/2024

ज्ञापांक:- ६० क०-९२/२४

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव/ वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ।
2. जिला नोडल पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
3. नोडल पदाधिकारी/आई0टी0 सेल (विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
4. प्रभारी सहायक, स्नातकोत्तर सामान्य शुल्क संग्रह पटल, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
5. निदेशक, संबंधित डाटा सेन्टर, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


 अध्यक्ष, छात्र-कल्याण